18913
21-11-19

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 36)

अज अदालत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, अलवर
किस्म प्रकरण -- दीवानी वाद संख्या
बनाम

पुनीत / ओ डी इंडिया

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
341/408/19

15/11/19 वकील वादी उपस्थित। कर्मचारी रिपोर्ट अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरये सामान्य संशुल्क तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30/11/19 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, अलवर (राज०)

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपि लेखक
जिला एवं सैशन न्यायालय
अलवर (राजस्थान)

प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सैशन न्यायालय
अलवर (राजस्थान)
25 NOV 2019

जिला एवं सैशन न्यायालय अलवर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अलवर (राजस्थान)

अधिवक्ता
पुनीत / ओ डी इंडिया
408/19
दि. 30-11-19

12x1
198
22-11-19

नंबर दरख्वास्त	1	18913
तारीख दरख्वास्त	2	21-11-19
फीस तलबाना	3	1 X 1
[illegible]		4
[illegible]		J.P.
[illegible]		25 NOV 2019
[illegible]		25 NOV 2019
तारीख नोटिस जो जारी हुआ	8	25 NOV 2019
नकल जारी तारीख	9	26-11-19

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

सेवामे,

न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 महोदय अलवर

प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सैशन न्यायालय
25 NOV 2019

MJM कोर्ट No1 अलवर
दावा
पुनीत / गो डेडी इण्डिया
408/19
30-11-19

341/408/15.11.19

दीवानी दावा संख्या सन् 2019

1— पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन उम्र करीब 34 साल निवासी बी—2, आनन्द विहार, रेलवे कालोनी अलवर राज0

—वादी

बनाम

1— गो डेडी इण्डिया, वैब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय, 003, टावर 4 ए डी.एल.एफ. कार्पोरेट पार्क, मजी रोड, गुरूग्राम (हरियाणा)—122002

2— ब्रेन्ट ओक्सले पुत्र श्री टाम ओक्सले उम्र करीब 38 वर्ष निवासी गली नंबर 1946 प्राईवेट रोड 2485 उवाल्डे टेक्सास (संयुक्त राज्य अमेरिका) पिन — 78801, Brent Oxeley S/O Tom Oxeley Age 38 years R/O Street No. 1946 Private Road 2485, Uvalde Texas America- 78801

— प्रतिवादीगण

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपि लेखक
जिला एवं सैशन न्यायालय
अलवर (राजस्थान)

दावा बाबत निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण आज्ञापक व्यादेश

श्रीमानजी,

बयान दावा मिन जानिब वादी निम्न प्रकार निवेदन है:—

1— यह है कि वादी अलवर शहर में उक्त वर्णित पते पर निवास करता है और वादी ने बी टेक की डिग्री प्राप्त की हुई है , वादी पढा लिखा

जिला एवं सैशन न्यायालय अलवर (राजस्थान)

11-11-19 श्री [illegible] को [illegible] [illegible]
दिनांक [illegible] 15-11-19 को [illegible]

श्रीमान :-
1. [illegible] सियाब है।
2. [illegible] है।
3. [illegible] है।
4. [illegible] योग्य है
5. T.I. प्रा. पत्र संलग्न है।
6. C Post में नकल [illegible] पेश है।
7. Addl. Copy संलग्न है।
रिपोर्ट जाड़ा पेश है।
15/11/19

2–

3–

[illegible] एवं सेशन न्यायालय
सत्यमेव जयते
अलवर (राजस्थान)

उच्च बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति है, जो आधुनिक जमाने में इन्टरनेट के माध्यम अपने विभिन्न कारोबारो को आगे बढाना चाहता है, जिस हेतु मिन वादी ने अपने उक्त वर्णित पते से अपने फौन व कम्प्यूटर के माध्यम से इन्टरनेट का प्रयोग करते हुये विभिन्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण करवाया हुआ है।

2– यह है कि प्रतिवादी संख्या–1 इन्टरनेट पर विभिन्न सुविधाए यथा वैबसाईट , डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) आदि के रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य करता है, जिसका कार्यालय गो डेडी इण्डिया, वैब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय, 003, टावर 4 ए डी.एल. एफ. कोपरेट पार्क, मजी रोड, गुरूग्राम(हरियाणा)–122002 में स्थित है। जो प्रतिवादी संख्या–1 के भारतीय उपभौक्ताओ (सुविधा प्राप्त कर्ताओ) को डील करता है।

3– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी से इन्टरनेट के माध्यम से ई–मेल से सम्पर्क करते हुये सम्पर्क करके मिन वादी को प्रतिवादी संख्या–1 के यहां मिन वादी व अन्य लोगो द्वारा पंजिकृत कराये गये डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को क्रय करने व अन्य नये डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को पंजिकृत कराने के लिये सम्पर्क करके आन लाईन ई–मेल के माध्यम से एक करार किया हुआ है। जो करार प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी के ई–मेल पते पर इन्टरनेट के माध्यम से किया है, जिस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या–2 के मध्य किसी भी स्टाम्प आदि पर लिखा हुआ कोई करार पत्र नही है, ताईद में वादी व प्रतिवादी संख्या–2 के मध्य ई–मेल के माध्यम से हुई बातचीत का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट दावा हाजा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है।

सत्य–प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपि लेखक
जिला एवं सैशन न्यायालय
अलवर (राजस्थान)

जिला एवं सैशन न्यायालय
सत्यमेव जयते
अलवर (राजस्थान)

4– यह है कि प्रतिवादी संख्या –2 ने मिन वादी के साथ करार करते समय यह तैय किया था कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा क्रय किये जाने वाले एवं विक्रय किये जाने वाले डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) प्रतिवादी संख्या–2 मिन वादी के माध्यम से ही क्रय विक्रय करेगा और डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) क्रय विक्रय किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–2 मिन वादी को डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) की कीमत के अनुसार 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कमीशन अदा करेगा, तथा मिन वादी को दिये जाने वाले कमीशन में से ही मिन वादी के नाम से पंजिकृत किये गये डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) नवीनीकरण की फीस और नये डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) पंजिकृत कराने की स्थिति में पंजिकरण फीस प्रतिवादी संख्या–1 को प्रतिवादी संख्या–2 के क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य किसी भी माध्यम से अदा की जावेगी।

5– यह है कि मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के पास दिनांक 25–06–2019 को रसीद संख्या 1513638424 , रसीद संख्या 15136337493, रसीद संख्या 1513637831, व रसीद संख्या 1513634568, के माध्यम से तथा दिनांक 04–07–2019 को रसीद संख्या 1517830898, और दिनांक 08–07–2019 को रसीद संख्या 1520206413, व रसीद संख्या 1520205490, के माध्यम से विभिन्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण एवं नवीनीकरण करवाया था। जिन डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) के नवीनीकरण में प्रतिवादी संख्या–1 को किये जाने वाला भुगतान प्रतिवादी संख्या–2 की सहमति से प्रतिवादी संख्या–2 के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया गया था।

6– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी के माध्यम से निम्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) क्रय किये है और इन डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को क्रय किये जाने के लिये विक्रेताओ से समस्त नेगोशियेशन मिन वादी ने ही किया है और मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या–2 के लिये निम्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) क्रय किये:–

1. Piano.com 2. Flute.com 3. Memo.com

4. Admirer.com 5. Darm.com 6. Devote.com

7. Demolish.com 8. Emir.com 9. Vtok.com

10. Vandalize.com 11. LoanTap.com

सत्य–प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपि लेखक
जिला एवं सेशन न्यायालय
अलवर (राजस्थान)

7– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी के माध्यम से निम्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को क्रय करने के लिये क्रेताओ से बात की और मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या–2 के लिये क्रेताओ से डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) क्रय करने के लिये सारी सारी रात जाग कर इन्टनेट के माध्यम से नेगोशियेशन किया, किन्तु प्रतिवादी संख्या–2 नें मिन वादी के कमिशन को हडपने के लिये निम्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) सीधे ही क्रय कर लिये और मिन वादी का कमिशन हडप लिया।

1. Advise .com 2. Message.com 3. Distribute .com

4. Detect .com 5. Jewel.com 6. Dust.com

7. Bonjour.com 8. Viaje.com

जिला एवं सैशन न्यायालय
सत्यमेव जयते
अलवर (राजस्थान)

8– यह है कि मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या–2 के निम्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को विक्रय करने के लिये काफी मेहनत करके ग्राहको से कीमत आदि तैय करके प्रतिवादी संख्या–2 को ग्राहको की जानकारी दे दी, जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी का कमिशन नही देने की नीयत से ग्राहको से सीधी बात करना प्रारम्भ कर दी है।

1.CIA .com 2. Drone .com 3.Item .com

4. Valentine .com 5. Bride .com 6.Hybrid.com

7. Athlete .com

उक्त डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) में से प्रतिवादी संख्या–2 CIA .com व Drone .com को सीधे ही क्रेताओ को बेचने के जुस्तजू में है। जबकि मिन वादी से किये गये करार के अनुसार उक्त डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) प्रतिवादी संख्या–2 सीधे नही बेच सकता है।

9– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 के मनमे बदनियती आ गई है और वह प्रतिवादी संख्या–1 से साजबाज होकर उक्त वर्णित डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) सीधे बेचने पर उतारू है और प्रतिवादी संख्या–1 भी प्रतिवादी संख्या–2 की मदद करने के लिये मिन वादी को बीच में लिये बिना ही प्रतिवादी संख्या–2 के नाम कें डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) के पंजिकरण में अन्य लोगो के नाम दर्ज कर रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है।

10– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी के नाम से प्रतिवादी संख्या–1 के यहा पंजिकृत विभिन्न डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का नवीनीकरण कराने के लिये मिन वादी को प्रतिवादी संख्या–2

द्वारा दी जाने वाली कमीशन की राशि में से नवीनीकरण शुल्क प्रतिवादी संख्या–1 को वाद पत्र के पैरा संख्या–5 में वर्णित रसीदो के माध्यम से अदा किया, किन्तु मिन वादी और प्रतिवादी संख्या–2 के मध्य कमीशन अदा किये जाने को लेकर आपस में विवाद शुरू हो गया तो प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रतिवादी संख्या–1 को अदा की गई नवीनीकरण शुल्क की राशि वापस विड़ा कर ली और प्रतिवादी संख्या–1 ने भी इस पर कोई एतराज नही किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का अधिकार नही था, क्योकि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 को प्रतिवादी संख्या–2 के क्रेडिट कार्ड से अदा की गई राशि मिन वादी की मेहनत की कमाई थी, जो मिन वादी के नाम से पंजिकृत डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) के नवीनीकरण के लिये काम में ली गई थी।

11– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 अज खुद मिन वादी के साथ ई–मेल के माध्यम से किये गये करार की पालना नही कर रहा है, जबकि वादी ने प्रतिवादी संख्या–2 के साथ किये गये करार की हमेशा पालना की है और प्रतिवादी संख्या–2 ने मिन वादी की मेहनत से हजारो डॉलर की कमाई भी की है। लेकिन वर्तमान में मिन वादी के नाम से प्रतिवादी संख्या–1 के यहां पंजिकृत समस्त डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड से कैश बैक लिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 मिन वादी के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) के पंजिकरण को निरस्त करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 को इसका कोई अधिकार नही है और ना ही प्रतिवादी संख्या–1 को एक बार पंजिकरण शुल्क प्राप्त करने के पश्चात उसे प्रतिवादी संख्या–2 के साथ मिल्लत करके प्रतिवादी संख्या–2 को वापस लौटाने का अधिकार है। इसलिये मिन

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रति लेखक
जिला एवं सै न्यायालय
अलवर (राजस्थान)

वादी प्रतिवादी संख्या–2 से प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त नवीनीकरण शुल्क वापस जमा करवाने का अधिकारी है।

12– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 मिन वादी द्वारा की गई मेहनत का प्रतिफल मिन वादी को दिये बिना ही वाद पत्र के पैरा संख्या–6–7 व 8 में वर्णित डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को बेचने पर उतारू है जिसका प्रतिवादी संख्या–2 को कोई अधिकार नही है और प्रतिवादी संख्या–2 जानबूझ कर मिन वादी से किये गये करार की पालना नही कर रहा है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या–2 को उक्त डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को विक्रय का अधिकार नही है और ना ही प्रतिवादी संख्या–1 को प्रतिवादी संख्या– 2 के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) के पंजिकरण को अन्तरित करने का अधिकार है।

13– यह है कि प्रतिवादीगण अज खुद मिन वादी के बार बार निवेदन करने के पश्चात भी मिन वादी के हकूको के विपरीत मिन वादी के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण निरस्त करने व प्रतिवादी संख्या–2 डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को स्थानान्तरित करने पर उतारू है, यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त मकसद में कामयाब हो गये तो मिन वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी जिस कारण वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु दावा हाजा पेश है।

14– यह है कि प्रतिवादीगण ने मिन वादी को दिनांक 03–11–2019 को मिन वादी के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण निरस्त करने और प्रतिवादी संख्या–2 ने डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को ट्रान्सफर करने की धमकी दी है जो तारीख दावा हाजा के लिये

विनायदावी व विनायमुखास्त की तारीखे है जिससे दावा हाजा मामूलन अन्दर मियाद पेश है।

15– यह है कि मिन वादी ने अलवर स्थित अपने घर से इन्टरनेट के माध्यम से प्रतिवादी संख्या–2 से करार किया है, और अपने घर से प्रतिवादी संख्या–1 के यहां डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण कराया है और यहां से ही प्रतिवादी संख्या– 2 के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) को खरीदने व बेचने के लिये ब्रोकर के रूप में ऑनलाईन कार्य किया है जिस कारण दावा हाजा मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

16– यह है कि बगर्ज अदायगी न्याय शुल्क दावा हाजा बाबत निषेधाज्ञा आज्ञापक व्यादेश का होने से दावा हाजा की मालियत 800 रूपये कायम की जाकर उचित न्याय शुल्क 20 रूपया चस्पा है व तलबाना सशुल्क पृथक से पेश है।

सत्य-प्रतिलिपि

अतः– दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार सादिर फरमाई जावे।

1– यह है कि प्रतिवादी संख्या–2 को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या–2 वादी के साथ किये गये करार की पालना करते हुये मिन वादी के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण शुल्क प्रतिवादी संख्या–1 से वापस जमा कराये।

2– यह है कि प्रतिवादी संख्या–1 को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या–1 मिन वादी के डोमेन (बौद्धिक अधिकार क्षैत्र) का पंजिकरण निरस्त ना करे।

3– अन्य अनुतोष न्यायालय श्रीमान जो उचित समझे प्रदान किये जावे।

4— खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दिनांकः—01—11—2019

प्रार्थी

पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन उम्र करीबन 34 साल निवासी बी—2, आनन्द विहार, रेलवे कालोनी अलवर राज0

सत्यापन

मै आज अहाते कचहरी परिसर अलवर मे तस्दीक करता हूँ कि वाद पत्र मे दर्जशुदा वाकेआत मुन्दर्ज चरण संख्या 1 लगायत 16 मेरे निजी ज्ञान वो मुझको मिली कानूनी सलाह से सही व सत्य है। ईश्वर मेरी रक्षा करे।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

जिला एवं सैशन न्यायालय अलवर (राजस्थान)

सेवामे,

न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 महोदय अलवर

दीवानी दावा संख्या सन् 2019

1– पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन उम्र करीबन 34 साल निवासी बी–2, आनन्द विहार, रेलवे कालोनी अलवर राज0 –वादी

बनाम

1– गो डेडी इण्डिया, वैब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय, 003, टावर 4 ए डी.एल.एफ. कार्पोरेट पार्क, मजी रोड, गुरूग्राम (हरियाणा)–122002 व अन्य –प्रतिवादीगण

दावा बाबत निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण आज्ञापक व्यादेश

शपथ पत्र

मै पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन उम्र करीबन 34 साल निवासी बी–2, आनन्द विहार, रेलवे कालोनी अलवर राज0 का हूँ तथा सशपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि:–

1– मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि वाद पत्र मे दर्जशुदा वाकेआत मुन्दर्ज चरण संख्या–1 लगायत 16 मेरे निजी ज्ञान व मुझे मिली कानूनी सलाह से सही व सत्य है। मैने इसमे कोई तथ्य गलत अंकित नही कराया है।

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रति लेखक
जिला एवं सैशन न्यायालय
अलवर

Agarwal

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

उपरोक्त शपथ पत्र मेरे निजी ज्ञान वो विश्वास से सही व सत्य है ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक:–11–11–2019

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

पुनीत पु० सुरेन्द्र
मार्फत 2 आनंद विहार
अलवर
उपरोक्त शपथ पत्र

जिला एवं सैशन न्यायालय अलवर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

11/11/19

Agarwal

नम्बर सलामी	1	18913
तारीख दाखिला	2	21-11-19
फीस	3	11X1
[illegible]		44
[illegible]		5.P.
[illegible]		25 NOV 2019
तारीख [illegible]	7	25 NOV 2019
तारीख नोटिस जो जारी हुआ	8	25 NOV 2019
नोटिस जारी तारीख	9	26-11